



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53812

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
906/2026

जितेन्द्र यादव उर्फ जितेन्द्र

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: आनंद प्रकाश यादव, कृष्ण यादव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

साथ में:

1. बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
981/2026:

वीरेश यादव

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

2. बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
909/2026:

देवेन्द्र यादव उर्फ देवेन्द्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
- तीनों अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0592/2025, धारा 109(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 316(2), और 351(3) भारतीय न्याय संहिता,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2023, थाना- सासनी गेट, जनपद अलीगढ़ में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किए गए हैं।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदकगण को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वे निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं: -
 - i. सभी संबंधित मामलों में आवेदकगण इस न्यायालय के आदेशों द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत पर हैं।
 - ii. यह नहीं कहा गया है कि आवेदकगण ने अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।
 - iii. हालांकि आवेदक वीरेश यादव को मारपीट की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, लेकिन घायल शेखर वाष्णेय और राहुल वाष्णेय को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, और उनकी चोट साधारण प्रकृति की पाई गई हैं।
 - iv. आवेदकगण का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे विधिवत स्पष्ट किया गया है।
 - v. आवेदकगण पूर्व दोषसिद्ध अपराधी नहीं हैं।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदकगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में विशेष रूप से नामित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक वीरेश यादव को घायल व्यक्तियों को चोट पहुंचाने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण का आपराधिक पूर्ववृत्त है और उनके द्वारा कथित अपराधों को दोहराने की संभावना है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक देवेन्द्र यादव ने घटना में फ्रैक्चर सहित चोटें आने का दावा किया है। इस तर्क के आलोक में, घटना स्वीकार्य मानी जाती है और आवेदकगण को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदकगण एफ.आई.आर. में नामित हैं; हालांकि, उन्हें मारपीट की एक सामान्य भूमिका दी गई है। वीरेंद्र यादव के संबंध में घायल को पीटने की विशिष्टता भी वीरेंद्र यादव द्वारा किए गए हमले के कारण किसी गंभीर चोट की प्राप्ति का संकेत नहीं देती है। आवेदकगण के आपराधिक पूर्ववृत्त को विधिवत स्पष्ट किया गया है। वे पूर्व दोषसिद्ध अपराधी नहीं हैं।
7. ऊपर चर्चा किए गए मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ आवेदक देवेन्द्र यादव के घटना में गंभीर चोट लगने के दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन आवेदकगण की चाची सावित्री देवी द्वारा दिए गए आवेदन पर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन बताया गया है, मैं आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकगण- जितेन्द्र यादव उर्फ जितेन्द्र, वीरेश यादव और देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोष के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -
 - i. आवेदकगण आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कराएंगे;

ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/धमकाएंगे नहीं;

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणों पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

17 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"